प्रौढ़ शिक्षा

अप्रैल–जून 2016
वर्ष 60 अंक–2

सम्पादक मण्डल

प्रो. भवानीशंकर गर्ग
(सरंक्षक)

श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
डा. सरोज गर्ग
श्री दुर्लभ चेतिया
डा. डी.के.वर्मा
डा. उषा राय
डा. मदन सिंह
श्री एस.सी. खंडेलवाल
श्री राजेन्द्र जोशी

सम्पादक
डा. मदन सिंह

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय

बिलावली क्षेत्र (इन्दौर) की घरेलू कामकाजी महिलाओ में साक्षरता
–हितेश शर्मा 5

ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास में पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र का प्रभाव
– प्रभाकर सिंह 11

महत्वपूर्ण है शैक्षणिक संस्थाओं में मानव अधिकार संस्कृति संबंधी शिक्षा
– मोहम्मद हामिद अंसारी 28

पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करने में शिक्षक की भूमिका
– महेन्द्र कुमार वर्मा 35

हमारे लेखक 39

मूल्यः रूपये 200/–वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं, जिनके लिए संघ एवं सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है ।

Census 2011 - Database for Literacy Programmes

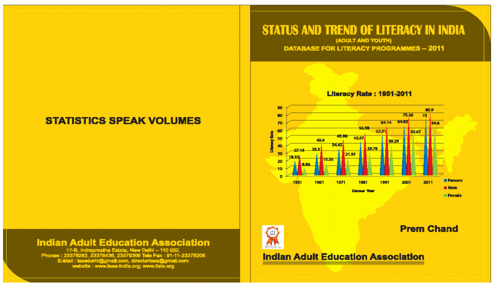

Indian Adult Education Association has brought out recently a book titled **Status and Trend of Literacy in India (Adult and Youth) Database for Literacy Programmes – 2011**. This book has 200 pages with 8 chapters and 17 tables. Annexure also gives district-wise information regarding literates, illiterates and literacy rates by sex and rural/urban areas for the age group 7 and above and illiterates, literates and literacy rates by sex and areas for adolescent (10-19) and youth (15-24) population – 2011.

The price of the book is Rs.800/- (US $ 90) per copy. Purchase order can be made by mail (directoriaea@gmail.com) indicating number of copies required and Demand Draft for total amount sent by post. The Demand Draft be drawn in favour of “Indian Adult Education Association” payable at New Delhi.

2030 अजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भारत

दिनांक 2 अगस्त 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ प्लीनरी के एक अनौपचारिक बैठक में 'ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड : द 2030 अजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' शीर्षक दस्तावेज पर सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा आम सहमति व्यक्त की गयी। तदुपरान्त, 25 से 27 सितम्बर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ के सत्तरवें आम सभा में वैश्विक बदलाव – चिरस्थायी विकास हेतु 2030 तक की इस कार्यसूची को आम सहमति के साथ स्वीकृत कर लिया गया और 1 जनवरी 2016 से इसे लागू करने की घोषणा की गयी। सन् 2005 तक के लिए घोषित आठ सहस्राब्दी लक्ष्यों के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में संचालित होने वाला वैश्विक विकास का यह दूसरा महत्वपूर्ण दौर होगा।

इस दस्तावेज में मानव समुदाय के साथ–साथ सम्पूर्ण सृष्टि की समृद्धि की बात कही गयी है। इसके तहत सार्वभौमिक साक्षरता युक्त एक ऐसे विश्व के सपने को साकार करने के लिए समयबद्ध कार्यसूची तैयार की गयी है जहां लेशमात्र भी भूख और गरीबी न हो, लैंगिक विभेद न हो, महिलाओं एवं लड़कियों के लिए बराबरी का माहौल हो तथा उनके सशक्तीकरण के सभी द्वार खुले हों, शोषणमुक्त बचपन हो, सभी स्तरों पर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो, सभी के मानवाधिकार सुरक्षित हों, हर व्यक्ति हिंसा और भयमुक्त हो, सभी के लिए पेयजल एवं जन सुविधाएं उपलब्ध हों तथा सस्ते दरों पर सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध हो।

2030 अजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत कुल 17 प्रमुख उद्देश्य तय किए गए हैं जो मानव विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा को प्रभावित करने वाले 169 लक्ष्यों पर आधारित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावना के अनुसार इन सभी लक्ष्यों को 1 जनवरी 2031 तक साकार किया जाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास की दृष्टि से ये लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन के उद्देश्य से यह अजेंडा मांग करता है कि वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य को साकार किया जाए, सभी युवाओं तथा वयस्कों (महिला एवं पुरूष) के अधिकतम हिस्से को साक्षरता तथा अंक ज्ञान प्रदान किया जाए, सभी के लिए व्यावसायिक तथा कौशल विकास प्रशिक्षण सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाए, शैक्षिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विश्वभर में गुणवत्ता संपन्न शिक्षकों के अभाव को दूर किया जाए तथा हर हालत में योग्य लोगों की लाभप्रद रोजगार तक पहुंच सुनिश्चित किया जाए ताकि वे स्वयं ही अपने जीवन की गुणवक्ता बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो सकें।

स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास की दृष्टि से यह अजेंडा मांग करता है कि सन् 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात 70 से कम किया जाए अर्थात प्रति एक लाख जन्म लेने वाले बच्चों पर किसी भी कारणवश 70 से अधिक माताओं की मृत्यु न हो, वैश्विक शिशु मृत्यु दर (जन्म के समय) प्रति एक हजार बच्चों पर 12 तथा 5 वर्ष की आयु तक प्रति एक हजार बच्चों पर 25 से कम किया जाए तथा विश्व के सम्पूर्ण आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा के तहत लाया जाए।

लैंगिक विभेद समाप्त करने, लड़कियों एवं महिलाओं को समाज में सभी स्तरों पर बराबरी का दर्जा दिलाने तथा उनके लिए विकास के सभी दरवाजे खोले जा सकें इस हेतु यह अजेंडा वर्ष 2030 तक लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति होने वाले सभी प्रकार के हिंसा, भेदभाव तथा हानिकारक रीति–रिवाजों यथा बाल विवाह, बलात विवाह एवं मादा जननांग विकृति को रोकने, घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन कर उन्हें उत्पादकता में शामिल करने, नीति निर्धारण तथा नेतृत्व के हर स्तर पर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वैधानिक प्रावधान किए जाने तथा आर्थिक संसाधनों एवं संपत्ति में बराबर का अधिकार प्रदान करने की मांग करता है। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए यह अजेंडा कहता है कि सन् 2025 तक विश्व से बाल मजदूरी पूर्णरूप से समाप्त किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं इसी अवधि में बच्चों की तरस्करी, उनका यौन शोषण तथा उन पर होने वाले अत्याचार समाप्त किया जाना चाहिए।

स्वाभाविक है कि दुनिया के सभी देश इस अजेंडा में शामिल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके पूर्व सहस्राब्दि लक्ष्यों को निश्चित अवधि में पूरा करने का भी भरसक प्रयास किया गया था लेकिन भारत सहित कई विकासशील एवं अल्प विकसित देश समय से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे। यदि भारत की बात करें तो हम पाते हैं कि साक्षरता और विशेषरूप से प्रौढ़ साक्षरता के दिशा में हमने प्रगति तो की लेकिन वह भी अपेक्षित पैमाने से कहीं दूर थी। साक्षर भारत कार्यक्रम इस दिशा में भारत सरकार की नई पहल है पर इस पर भी यह आरोप बार–बार लग रहा है कि इस समूचे कार्यक्रम का फोकस असाक्षरों को साक्षर बनाने के बजाय साक्षरों को मूल्यांकन के माध्यम से साक्षरता सर्टिफिकेट प्रदान करने पर कहीं ज्यादा है। समाचार पत्रों में यह आरोप भी बार–बार लग रहा है कि मूल्यांकन के दौरान परीक्षा देने वालों में नवसाक्षर के स्थान पर भारी संख्या में पढ़े–लिखे लोग नाम पता बदलकर शामिल हो रहे हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, साक्षरता के मुहिम को जमीनी स्तर पर पहुंचाने तथा इसे प्रभावी ढंग से लागू करने वाले जन शिक्षण संस्थानों की संख्या भी धीरे–धीरे सिमट रही है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नई शिक्षा नीति इन तमाम खामियों को दूर करते हुए 2030 अजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलेपमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कारगर हो सकेगी? विदित है कि सन् 1986 में घोषित तथा 1992 में परिवर्द्धित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदलते दौर की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त मानते हुए सरकार नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के अनुसार वह कुछ ही दिनों में घोषित भी हो सकती है। ठीक यही चुनौती महिला एवं बाल विकास के समक्ष भी खड़ी है। देश में लागू वर्तमान महिला सशक्तीकरण नीति सन् 2001 में तैयार की गई थी अब इस क्षेत्र के लिए भी नई नीति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उम्मीद किया जाना चाहिए कि नवीन महिला सशक्तीकरण नीति भारत में 2030 अजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत निर्धारित महिला एवं बाल विकास के लक्ष्यों को साकार करने में कारगर सिद्ध होगी।

बी. संजय

बिलावली क्षेत्र (इन्दौर) की घरेलू कामकाजी महिलाओं में साक्षरता

हितेश शर्मा

भारत एक ग्राम प्रधान देश है। यहां के गांवों में विभिन्न जाति और समुदाय के लोग निवास करते हैं जो न केवल अलग – अलग धर्मो एवं पंथों को मानने वाले हैं बल्कि अलग – अलग भाषा और बोलियां बोलते हैं। इन सबके साथ उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में भी घोर विभिन्नता है। इसलिए यहां विविधता जीवन्त है और समूचे देश में तथा जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान है। तसल्ली की बात यह है कि यहां के सभी निवासियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग एक सी है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा कच्छ से लेकर कुमकी (अरुणाचल प्रदेश) तक लोगों के रहन – सहन, आचार – विचार और मान्यताओं में गहन समानता है जिसके कारण जीवन के हर मोड़ पर अनेकता में एकता की प्रवृति चरितार्थ होती दिखती है।

आज समूचे देश में विकास की बात हो रही है। पर गांवों को छोड़कर विकास की बात सम्भव नहीं हो सकती। गांवों में भारत की कुल जनसंख्या की लगभग 73 प्रतिशत आबादी निवास करती हैं। स्पष्ट है कि इस विशाल आबादी की विकास की ब्यार से बाहर रखकर सम्पूर्ण देश के विकास को कतई सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अतः गांवों के विकास हेतु अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भारत की अर्थव्यवस्था भी अधिकाशंतः गांवों पर ही निर्भर करती है। अतः भारत की समृद्धि के लिए भी गांवों का विकास आवश्यक है, किन्तु वर्तमान समय में गांवों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण गांवों में बडे पैमाने पर सामाजिक पिछड़ापन भी बरकरार है। समय – समय पर किए गए शोध अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि इस आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के पीछे मूल कारण ग्रामीण इलाकों में फैला शैक्षिक पिछड़ापन है। विकास और शिक्षा के बीच गहरा संबंध होता है। यदि ग्रामीण इलाकों को विकसित करना है तो उनमें शिक्षा के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। जागरुक और शिक्षित नागरिक ही समूचे राष्ट्र की विचारधारा, समृद्धि एवं सर्वांगीण विकास का आधार बन सकते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो लोग आज भी शिक्षा की व्यापक परिधि से बाहर हैं उन्हें हर सम्भव प्रयास कर इस परिधि के अन्दर लाया जाए।

ज्ञात है कि समय से औपचारिक शिक्षा न प्राप्त कर पाने वाले सभी लोगों के लिए शिक्षित होने की प्रथम सीढ़ी ''साक्षरता'' है। प्रस्तुत अध्ययन में इन्दौर जिले के ग्राम बिलावली की

घरेलू असाक्षर कामकाजी महिलाओं में साक्षरता के प्रसार तथा इस क्रम में आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान हेतु किए गए प्रयत्नों के विश्लेषण का प्रयास किया गया है।

विदित है कि इस गांव के बच्चे शासकीय विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं परन्तु सामाजिक और घर की आर्थिक स्थिति सुव्यवस्थित न होने के कारण ये लोग नौकरी, बालश्रम तथा बाल–विवाह जैसे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति दयनीय होने के कारण ही ये बच्चे प्राथमिक स्तर तक पहुंचते–पहुंचते विद्यालय छोड़ देते हैं। माता–पिता का अशिक्षित होना तथा आस पास का वातावरण भी इन बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव उत्पन्न न होने का एक प्रमुख कारण है। इलाके में शिक्षकों की कमी तो है पर अनेक शिक्षित लोग मौजूद हैं। यह सभी जानते हैं कि अध्यापन कार्य शिक्षक ही नहीं वरन् हर शिक्षित व्यक्ति कर सकता है। यह अलग बात है कि हर व्यक्ति अध्यापन का कार्य अपने–अपने तरीके से करता है। अध्यापन कार्य किसी अनभिज्ञ समाज को ज्ञानवर्धक समाज में परिवर्तित कर सकता है। इस शोध कार्य के माध्यम से इस तथ्य को नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया गया है कि शिक्षक ही नहीं बल्कि समाज का हर शिक्षित व्यक्ति अपने आस – पड़ोस में निवास कर रहे असाक्षर अथवा नवसाक्षर व्यक्तियों को साक्षर तथा आगे चलकर शिक्षित बनाने में योगदान कर सामाजिक बदलाव लाने तथा शिक्षित समाज विकसित करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकता है।

असाक्षर घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए साक्षरता शिक्षा अभियान : स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अनेकों परिवर्तन हुए हैं। प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी इन परिवर्तनों से अलग नहीं रहा है। समाज शिक्षा से लेकर वर्तमान में संचालित साक्षर भारत कार्यक्रम तक के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था को देश के प्रत्येक गांव तक उपलब्ध कराने का सफल प्रयास किया गया है। इसके तहत उन सभी लोगों विशेषकर प्रौढ़ पुरूष एवं प्रौढ़ स्त्रियां जो किसी कारणवश अपने बाल्यकाल में विद्यालय नहीं जा सके और साक्षरता के प्रकाश से वंचित रह गए, उन्हें बुनियादी साक्षरता, सतत् शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से न केवल साक्षर और शिक्षित बनाने का प्रयास किया जाता है बल्कि उन्हें लाभप्रद रोजगार से भी जोड़ा जाता है ताकि वे अपने जीवन में स्वावलम्बी बनकर एक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकें।

केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा संचालित उपरोक्त कार्यक्रमों के कारण भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन आया है। के. नटराजन कहते हैं कि ''एक व्यक्ति जो सौ वर्ष पूर्व मर गया हो और यदि वह पुनः दुनिया में आये तो देखेगा कि नारी की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। लेकिन ऐसे भी इलाकों की कमी नहीं है जहां लोग विशेषकर महिलाएं साक्षरता के प्रकाश से मीलों दूर खड़ी हैं। ऐसी आबादी विशेषरुप से ग्रामीण और

दूर – दराज के इलाकों में बहुतायत है। इन्दौर जिले का ग्राम बिलावली भी ऐसा ही एक इलाका है। यहां महिलाओं सहित अन्य सभी लोग अपना जीवन – यापन करने के लिए मेहनत – मजदूरी आदि का काम करते हैं। ऐसे कामों को करते – करते शाम तक वे थक कर चूर हो जाते हैं। यहां मजदूर वर्ग के अधिकांश लोग शाम को घर आने के बाद आराम करना चाहते हैं। न शिक्षक इन लोगों को पढ़ाने में रूचि लेते हैं और न ये लोग स्वयं पढ़ना चाहते हैं। घरेलू कामकाजी महिलाओं का कहना होता है कि इस उम्र में पढ़ाई करने से क्या लाभ होगा? शैक्षिक वातावरण ना होने के कारण भी इनमें शिक्षा के प्रति उदासीनता छाई रहती है। सरकार द्वारा इन्हें निःशुल्क स्लेट, कलम, पुस्तक, पेन्सिल आदि के साथ–साथ मध्यान्ह भोजन भी प्रदान किया जा रहा है। बावजूद इसके ये पढना नहीं चाहते।

प्रस्तुत अध्ययन के शोधार्थी ने सघन प्रयासों के माध्यम से यह ज्ञात करने का भी प्रयास किया है कि नियमित शिक्षकों के अभाव में यदि इलाके में निवास कर रहे अन्य शिक्षित लोग संजीदगी के साथ स्वयंसेवी प्रयास करें तो इससे भी अत्यन्त आशाजनक और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

संबंधित साहित्य का अध्ययन : दत्ता (1990) ने महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान को देखा और पाया कि उन्होंने महिलाओं में आधुनिक शिक्षा के प्रति रूचि जागृत की तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए कलकत्ता में लड़कियों के लिये हाईस्कूल खोले। (1990) ने कामकाजी महिलाओं के आत्म संकल्पना एवं वातावरण की पहचान और उनमें व्यावसायिक जीवन संतुष्टि के साथ सहसंबंध पर शोध किया और यह पाया कि जो महिलाएं व्यवसाय में अच्छी स्थिति में है वे जीवन में भी काफी संतुष्ट पाई गई। यह भी ज्ञात हुआ कि नौकरी करने वाली महिलाओं में आत्म संकल्पना ज्यादा अच्छी पाई जाती है। इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि नौकरी पेशा महिलाओं की शिक्षा और आत्म संकल्पना और नौकरी में धनात्मक सहसंबंध है। गोखले (1991) ने प्रवासी औद्योगिक कर्मचारियों की महिलाओं का स्तर और उनका शिक्षा की तरफ अभिरूचि का अध्ययन किया और पाया कि ये महिलाएं अपने घर पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती हैं तथा स्वास्थ्य और राजनैतिक पक्ष में भी सुदृढ़ होती हैं। यह भी ज्ञात हुआ कि कई सालों के प्रवास के बाद भी इन महिलाओं के विचार और व्यवहार में आधुनिकीकरण नहीं हुआ है और ना ही उनकी स्थिति में कोई सुधार आया।

औचित्य : संबंधित साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति से जुड़े अनेक पक्षों यथा शिक्षा तथा विकास, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, महिलाओं के प्रति अपराध, महिला श्रमिक, समान कार्य के समान वेतन, कार्यस्थल पर सुरक्षा आदि पर शोधकार्य हुए हैं और हो भी रहे हैं, परन्तु ग्रामीण जनजाति क्षेत्रों के महिलाओं की शैक्षिक

स्थिति में सुधार के लिए अब तक जो प्रयास किए गए हैं वे बहुत कम हैं। ग्रामीण जनजाति क्षेत्रों के महिलाओं की स्थिति में सुधार का कार्य यदि ऐसा ही चलता रहा तो राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियां निर्माण करने एवं इसके लिए जरुरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि अभिलम्ब हर संभव प्रयास कर ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र की सम्पूर्ण आबादी को शिक्षित किया जाए। इस सत्य को संवैधानिक रूप से भी स्वीकार किया गया है। इसी के मद्देनजर 86 वें संविधान संशोधन के द्वारा दिसम्बर 2002 से मौलिक शिक्षा के अधिकार को मूल नागरिक अधिकारों में सम्मिलित कर लिया गया। सन् 2002 से अब तक लगभग डेढ़ दशक का समय बीत चुका है पर इन्दौर शहर की ग्राम बिलावली क्षेत्र में कुछ खास परिवर्तन नहीं नजर आता है। क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के लागों से बातचीत करने पर ज्ञात होता है कि अभी भी अनेकों लोग जिनमें अधिकांशतः महिलाएं एवं आर्थिक रुप से विपन्न व्यक्ति शामिल हैं, अशिक्षा की चपेट में हैं। इसलिए आवश्यक है कि शोध अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात किया जाए कि आखिर क्या कारण है कि सरकार द्वारा अरबों रूपये खर्च कर विभिन्न योजनाएं संचालित करने के बाद भी यहां स्थिति जस के तस बनी हुई है।

समस्या कथन : इन्दौर शहर की ग्राम बिलावली क्षेत्र की असाक्षर घरेलू कामकाजी महिलाओं में साक्षरता की स्थिति का अध्ययन।

उद्देश्य : इन्दौर शहर की ग्राम बिलावली क्षेत्र की असाक्षर घरेलू कामकाजी महिलाओं में साक्षरता की स्थिति का अध्ययन कर पूर्व एवं पश्च परिक्षणों के मौखिक उपलब्धि माध्य फलांकों की तुलना करना।

परिकल्पना : पूर्व एव पश्च परिक्षणों के मौखिक उपलब्धि माध्य फलांकों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परीसीमन : शोधार्थी द्वारा ग्रामीण परिवेश की बीस घरेलू कामकाजी महिलाओं का चयन कर उन्हें अक्षर ज्ञान कराया गया। इसलिए अध्ययन कार्य मुख्यतः इन्दौर शहर की ग्राम बिलावली क्षेत्र की असाक्षर घरेलू कामकाजी महिलाओं तक ही सीमित है।

न्यादर्श : शोधार्थी ने न्यादर्श के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की बीस असाक्षर महिलाओं को साक्षरता गतिविधि के तहत साक्षर बनाने हेतु चयन किया एवं इन्हें ही इस शोध अध्ययन के न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

क्रम.	कथन	उपलब्धि मौखिक परीक्षण (पूर्व)	उपलब्धि मौखिक परीक्षण (पश्च)
1.	आ से होता है...........................		
2.	ग से होता है............................		
3.	च से होता है............................		
4.	औ से होता है...........................		
5.	फ से होता है............................		
6.	ख से होता है............................		
7.	कमल–शब्द पहचानिए		
8.	राम–शब्द पहचानिए		
9.	इन्दौर–शब्द पहचानिए		
10.	मेरा नाम .... है। मेरे शिक्षक/शिक्षिका का नाम ....हैं।		
11.	र – –––––		
12.	ल – ––––––		
13.	ब से ––––		
14.	उ से ––––		
15.	य से –––––		
	योग		

प्रदत्त संकलन : ज्ञात है कि चयनित महिलाओं में से किसी को भी प्रारंभ में अक्षर ज्ञान नहीं था जो शोधार्थी द्वारा उन पर प्रारम्भ में किए गए पूर्व उपलब्धि परीक्षण के परिणामों से स्पष्ट होता है। पूर्व परीक्षण में महिलाओं से उनका नाम लिखने एवं उन्हें वर्णमाला पढ़ने को कहा गया था। शोधार्थी को प्रदत्तों के संकलन के समय अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए, जिसमें महिलाओं की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं आदि का समावेश था। प्राप्त सूचनाओं से यह स्पष्ट हो रहा था कि प्रायः सभी महिलाओं की मानसिक स्थिति पर उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति का पूर्ण प्रभाव था। घरेलू कामकाज कर रही इन महिलाओं को सर्वप्रथम पूर्व निश्चित घरों में जाकर काम निपटाना होता है जिसके बाद ये स्वयं अपने घर जाकर अपने काम निपटाती है तथा अपने बच्चों की देख–रेख करती हैं। इन सबकी जवाबदारी पूरी करने के उपरान्त अक्षर ज्ञान के लिए ये समय निकाल पाने की स्थिति में नहीं होती हैं । बावजूद इसके शोधार्थी द्वारा इन्हें समझाने व पढ़ाने का सफल प्रयास किया गया। सभी महिलाओं को अक्षर ज्ञान कराने के बाद उनसे समूचे पाठ को मौखिक रूप से भी बुलवाया गया। शोधार्थी द्वारा सभी चयनित महिलाओं पर प्रारम्भ में पूर्व मौखिक परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षण किया गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि प्रायः सभी महिलाओं को बोलने व समझने में सामान्य समस्याएं आई थीं जो कि बाद में कम हो गईं।

प्रदत्त विश्लेषण : विश्लेषण के लिए सहसंबध 't' का मान ज्ञात किया गया।

उपलब्धि मौखिक परीक्षण वार महिलाओं की कुल संख्या, माध्य, मानक विचलन एवं t मान

उपलब्धि मौखिक परीक्षण	कुल संख्या (N)	माध्य (M)	मानक विचलन SD	t मान
पूर्व	20	03.50	01.58	13.69
पश्च	20	11.25	01.48	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि t मान 13.69 है जो कि 0.01 स्तर पर स्वतंत्रता कोटी 19 के साथ सार्थक है। यह दर्शाता है कि पूर्व एवं पश्च परीक्षण के प्रतिक्रियाओं के माध्य फलांको में सार्थक अंतर है। अतः इस संदर्भ में शून्य परिकल्पना कि पूर्व एवं पश्च उपलब्धियों के मौखिक माध्य फलांको में सार्थक अंतर नहीं है निरस्त की जाती है।

परिणाम एवं विवेचना : इस शोध अध्ययन से महिलाओं में अक्षर ज्ञान का अंतर सार्थक पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यवस्थित प्रशिक्षण एवं कौशलों का लगातार अभ्यास करने से प्रायः सभी चयनित महिलाओं में अक्षर ज्ञान के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन मौखिक परीक्षणों के माध्यम से किया गया । इससे यह ज्ञात हुआ कि जिन महिलाओं ने ध्यानपूर्वक अपना पाठ तैयार किया तथा अन्य महिलाओं की तुलना में अक्षर ज्ञान के लिए ज्यादा समय व्यतीत किया उनमें अक्षर ज्ञान का स्तर शेष महिलाओं की तुलना में कहीं ज्यादा था। यह तत्य उनमें पाए गए उच्च तथा औसत परिणामों से भी स्पष्ट होता है।

संदर्भ

1. Saradmma M.A. (1992). An Enquiry into the Learning Needs of Illiterate Women in Kerala with a View to Envolve a Suitable Curriculum Unpublished, Ph.D Thesis . University of Kerala.

2. Singh Sudha Bala 1989. A Comparatives Study of Personality of Working and Non Working Women with Special Reference to Family Adjustment and their Children, Unpublished, Ph.D. Thesis, University of Agra.

3. Adult Education (2009): IGNOU, New Delhi

ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास में पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र का प्रभाव

– प्रभाकर सिंह

हमारा देश भारत मुख्य रूप से गावों का देश है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 72.22 प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी में थोड़ी गिरावट आई है और अब यह 68.8 प्रतिशत है। लेकिन विकास की दृष्टि से गावं आज भी काफी पिछड़े हुए हैं। उनके पिछड़ेपन का प्रमुख कारण ग्रामीण लोगों में व्याप्त निरक्षरता है। आज एक ओर जहां विज्ञान की खोज एवं तकनीकी विकास ने भौतिक प्रगति के नए–नए आयाम खोल दिए हैं वहीं दूसरी ओर विज्ञान की उल्ल्खनीय उपलब्धियों के बावजूद, तेजी से बदल रहे सामाजिक परिवेश, दिन–प्रतिदिन जटिल होती जिन्दगी तथा कार्य की स्थितियों में ग्रामीण समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा के अभाव में अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। वह अनेक सामाजिक–आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है। विकास में उसकी समुचित भागीदारी नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास एक गम्भीर समस्या है।

सामाजिक विचारक गुन्नार मिर्डाल (संद, सिंह, 1996:33) ने स्पष्ट कहा है ''बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास की बात मुझे निरर्थक सी लगती है''। भारत के ग्रामीण अंचलों में देखें तो हरित क्रान्ति का वास्तविक लाभ उन इलाकों में ज्यादा पहुँचा जहाँ किसान समुदाय शिक्षित रहा। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों में भू–संपदा के गुण में कमी, कम, किसानों की निरक्षरता ज्यादा है। निरक्षर किसान कृषि की विकसित एवं उन्नत तकनीकों का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते और परम्परागत खेती में उलझे रहते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रमों में कार्यशील एवं युवा जनसंख्या पर मुख्य रूप से जोर दिया गया जो राष्ट्रीय विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वर्तमान समय में संसार के लगभग सभी देश यह मानकर चल रहे हैं कि विकास के लिए मात्र सामाजिक–आर्थिक योजनाएँ ही काफी नहीं हैं, मानव संसाधन का विकास, विकास का प्रमुख घटक है। 1998 में नोबल पुरस्कार प्राप्त भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अर्थशास्त्र की मूल चिंता भी शिक्षा है वह भी जनशिक्षा। अमर्त्य सेन समूचे विकास की बुनियाद ही जन शिक्षा को मानते हैं। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने भारत के विकास को शिक्षा के नजरिए से देखने का प्रयास किया है। अगर हम देखें तो पाते हैं कि अर्थशास्त्री एडम स्मिथ जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, से लेकर मिल और अमर्त्य सेन तक ने यह स्वीकार किया

है कि सामाजिक और आर्थिक विकास शिक्षा के बिना सम्भव नहीं है। सामाजिक विकास के अवसर की गरीबी तभी समाप्त होगी जब अक्षर और अंक की गरीबी मिटेगी और आर्थिक गरीबी भी तभी मिटेगी जब शिक्षा की गरीबी से देश मुक्त हो।

किसी भी समाज के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए मानवीय तत्व (मानव संसाधन) बहुत सीमा तक उत्तरदायी है। योजनाओं के निर्माण द्वारा सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए केवल सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं। उन सुविधाओं का उपयोग करना मानवीय तत्व पर निर्भर है जो उसकी इच्छा शक्ति और क्षमता पर निर्भर करता है।

अशिक्षित व्यक्ति अपने सामाजिक–आर्थिक विकास में अधिकतम योगदान इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि वह अशिक्षा और अज्ञानता के कारण उन सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाता, जो उसके लिए जुटाई गई हैं। व्यक्ति की सूचनाओं तक पहुँच तथा कार्यकुशलता उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षित व्यक्ति अपनी जानकारी तथा कुशलता से जहां श्रम के साथ–साथ आधुनिक, वैज्ञानिक तथा उन्नत नवीन तकनीकों का उपयोग करके अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करता है, वहीं अशिक्षित व्यक्ति इनसे अनभिज्ञ रहता है। परिणामस्वरूप उसे अधिक शारीरिक एवं मानसिक श्रम करने के बावजूद कम प्रतिफल पर सन्तोष करना पड़ता है।

इस प्रकार एक शिक्षित व्यक्ति जितनी जल्दी अपना, स्वयं और समुदाय का सामाजिक–आर्थिक विकास कर सकता है, उतनी जल्दी निरक्षर व्यक्ति नहीं कर सकता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में सोचने–विचारने, चिन्तन करने, तर्क करने तथा समस्याओं के समाधान खोजने हेतु योग्यता विकसित होती है। शिक्षा व्यक्ति में स्वतंत्र चिन्तन द्वारा निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। साक्षरता शिक्षित होने की दिशा में प्रवेश द्वार है। अतः जीवन में शिक्षा एवं साक्षरता का महत्वपूर्ण स्थान है।

शिक्षा व्यक्ति के अन्दर ऐसी चेतना लाती है जिससे वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता है या उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने का प्रयास करता है।

हमारे देश में साक्षरता कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार के लिए आज़ादी के बाद से ही अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाए गए। इस दिशा में 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है। मिशन के माध्यम से साक्षरता का व्यापक प्रचार–प्रसार हुआ है।

साक्षरता की दिशा में संचालित साक्षर भारत नामक नवीन कार्यक्रम के तहत भी साक्षरता,

सतत् शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने की मुहिम जारी है जिसके तहत देश के चयनित जिलों में विशेषरुप से महिलाओं में साक्षरता दर को बढाने की लगातार कोशिश की जा रही है ताकि महिलाा एवं पुरुष साक्षरता दरों के बीच वर्तमान अन्तराल को कम किया जा सके।

ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों की स्थापना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में साक्षरता कार्यक्रम को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने हेतु स्थाई ढांचे के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसके पहले सतत शिक्षा के विकास हेतु गांव–गांव में पुस्तकालय खोलने की अनुशंसा कोठारी शिक्षा आयोग (1966) ने की थी। लेकिन इस हेतु सन्तोषजनक व्यवस्थाएं नहीं की जा सकीं। शिक्षा की संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 के अन्तर्गत नवसाक्षरों को उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का मुद्दा पुनः उठाया गया। परिणामस्वरूप पुनरीक्षित कार्ययोजना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत गांव–गांव में पुस्तकालय सेवा के माध्यम से नवसाक्षरों एवं अन्य ग्रम वासियों को जीवन पर्यन्त शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में स्वनिर्देशित सतत शिक्षा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश में संचालित साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से काफी बड़ी संख्या में लगभग 96 लाख प्रौढ़ नवसाक्षर बनें हैं। इन नवसाक्षरों में एक नई ऊर्जा एवं आकांक्षा पैदा हुई है और ये अपनी शिक्षा सतत जारी रखना चाहते हैं। इन नवसाक्षरो एवं उनके समुदाय के अन्य पढ़े–लिखे लोगों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु अवसर उपलब्ध कराने के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के आर्थिक सहयोग से 26 जनवरी 2003 से पूरे प्रदेश में एक साथ लगभग 47103 ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र खोले गए (सिंह, 2008:34)।

इन केन्द्रों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित एवं अध्ययनशील समाज की रचना करके नवसाक्षरों के साथ समुदाय के सभी लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन ला उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।

ग्रामीण पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य

1. नवसाक्षरों को अपनी साक्षरता कुशलताओं को बनाएं रखने तथा उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने के अवसर उपलब्ध कराना,
2. नवसाक्षरों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिससे वे अपने द्वारा अर्जित साक्षरता कौशल का उपयोग व्यवसाय में करके उत्पादकता बढ़ा सकें तथा जीवन स्तर और सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें,

3. विकास कार्यों से सम्बन्धित सूचनाएं जनसामान्य तक पहुँचाना तथा उनमें समाज के वंचित तबकों की भागीदारी बढ़ाना,
4. सतत शिक्षा कार्यक्रम का विकास की विभिन्न एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करना जिससे विकास में गति आ सके,
5. समुदाय के लोगों में स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों और समस्याओं के प्रति जागरूकता लाकर उत्तरदायी व्यवहार विकसित करना जैसे – पर्यावरण संरक्षण एवं उसमें सुधार, छोटा परिवार, महिला–पुरूष समानता, राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या वृद्धि, गांव की साफ–सफाई तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे आदि,
6. ग्रामवासियों को मनोरंजन, खेल–कूद और मनबहलाव के अवसर व साधन उपलब्ध करा कर उनकी उत्पादकता को बढ़ाना,
7. ग्राम स्तर पर जनभागीदारी का ऐसा संगठन तैयार करना जो स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रम तैयार कर उनका क्रियान्वयन कर सके।

ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र के लक्ष्य समूह (लाभार्थी)

ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों के लक्ष्य समूह निम्नानुसार हैं –

– 15 से 45 आयु वर्ग के नवसाक्षर जिन्होंने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।
– 15–45 आयु वर्ग के अर्धसाक्षर, असाक्षर एवं ड्राप आऊट ।
– 9 से 14 वर्ष के प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले पढ़ाई छोड़ने वाले शाला त्यागी बच्चे।
– औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले शिक्षार्थी ।
– समुदाय के अन्य कोई भी व्यक्ति एवं महिलाएँ जो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं।

इन सबको ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्रों के माध्यम से अपनी शिक्षा सतत जारी रखने, व्यक्तित्व का विकास करने, हुनर बढ़ाने एवं विकसित करने, सामाजिक गतिशीलता बढ़ाने तथा आय और जीवन स्तर सुधार कर अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु अवसर उपलब्ध करने की बात कही गई है। पुस्तकालय केन्द्र की गतिविधियों में उन सभी मुद्दों को समाहित किया गया है जिनकी आवश्यकता औपचारिक तंत्र से शिक्षा प्राप्त किए या साक्षरता कार्यक्रम से साक्षर हुए व्यक्ति महसूस करते हैं।

ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र एक समग्र प्रक्रिया एवं जीवन पर्यन्त शिक्षा के रूप में व्यक्ति को सकारात्मक सोच व क्षमता प्रदान करते हैं जिससे व्यक्ति अपने कार्य की गुणत्ता बढ़ाकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकता है।

ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र के माध्यम से अनेक प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियाँ एवं विकासात्मक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

1. नियमित गतिविधियाँ

शिक्षित स्वस्थ तथा अध्ययनषील समाज की संकल्पना को साकार करने के लिए पुस्तकालय केन्द्रों पर कुछ गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने के लिए सोचा गया है इनमें प्रमुख रूप से निम्न गतिविधियाँ हैं :

- साक्षरता कक्षा
- पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन
- चर्चा मण्डल
- लघु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन
- सूचना खिड़की
- खेलकूद एवं साहसिक गतिविधियाँ
- मनोरंजक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ

2. लक्ष्य केन्द्रित कार्यक्रम

यूनेस्को द्वारा निर्धारित लक्ष्य केन्द्रित कार्यक्रमों में से भारत में निम्नलिखित कार्यक्रमों को अपनाया गया है :

- समतुल्यता कार्यक्रम
- आय उत्पादक कार्यक्रम
- जीवन की गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
- व्यक्तिगत रूचि संवर्धन कार्यक्रम

अध्ययन के आयोजन का आधार

मध्यप्रदेश में ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों की स्थापना इस आधार पर की गई है, जो समाज के सभी लोगों के विकास के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें। देखने में आता है कि नवसाक्षरों के अलावा ग्रामीण समाज में एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो कहने को तो प्राथमिक, माध्यमिक या उ.मा. शिक्षित होते हैं किन्तु पठन पाठन सामग्री के अभाव एवं अध्ययन का अवसर न मिलने से उनकी स्थिति भी निरक्षरों एवं शाला त्यागियों से अच्छी नहीं रहती है। प्रायः देखा जाता है कि समाज में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग है,

जिनके जीवन में कुछ ऐसी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे या तो वे निरक्षर रह जाते हैं या उनके शिक्षा का क्रम बीच में टूट जाता है। जानकारी का अभाव तथा जागरूकता की कमी के कारण राष्ट्रीय लक्ष्य एवं विकास कार्यक्रमों में उनकी समुचित भागीदारी नहीं मिल पाती है।

मध्यप्रदेश में 2003 से ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ विज्ञान की खोज, तकनीकी नवीन ज्ञान तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं को सामान्य ग्रामीण जनों तथा वंचितों तक पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों को समाप्त करने तथा प्रगतिशील वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का कार्य भी इन पुस्तकालय केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण लोग विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनकर अपना तथा गांव का सामाजिक–आर्थिक विकास कर रहे हैं।

ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास में ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों का कितना प्रभाव पड़ा है – इसका ज्ञान हमको तभी हो सकता है जब हम ग्रामीण पुसताकलय एवं संस्कृति केन्द्रों के प्रभाव का अध्ययन करें। किन्तु इससे पूर्व की इस विषय पर शोध कार्य प्रारम्भ किया जाए इस विषय में उपलब्ध साहित्य तथा अभी तक किए गए शोध कार्यों की समीक्षा न केवल उपयोगी बल्कि आवश्यक समझी गई।

अध्ययन की आवश्यकता

अध्ययन के विषय से संबंधित साहित्य के अवलोकन से पता चलता है कि प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता के विविध पक्षों जैसे – ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम का मूल्यांकन, विद्यादान अभियान का प्रभाव, नवसाक्षरों की आवश्यकता, साक्षरता के साथ सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रम का जुड़ाव, साक्षरता अभियान में ड्रापआऊट समस्या, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमः साक्षरता अभियान – समस्याएं एवं संभावनाएं, नवसाक्षरों की पढ़ने–लिखने की अर्जित क्षमताएं एवं समतुल्यता की आवश्यकता आदि विविध पक्षों पर शोध कार्य हुए हैं। किंतु ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों के प्रभाव संबंधी कोई व्यवस्थित और प्रामाणिक शोध /मूल्यांकन अध्ययन देखने में नहीं आया है।

चूंकि सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2003 से ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों का संचालन व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। ये केन्द्र प्रदेश में औपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन हैं। इसके बावजूद अभी तक इस क्षेत्र में व्यवस्थित और प्रमाणिक शोध/मूल्यांकन अध्ययन देखने में नहीं आया है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों का ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव

संबंधी शोध अध्ययन का अभाव है। इससे प्रस्तुत अध्ययन 'ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास में पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों का प्रभाव' संबंधी अध्ययन की आवश्यकता महसूस होती है।

शोध समस्या

शोध संबंधी उपयुक्त आवश्यकता की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन का आयोजन किया गया। प्रस्तुत शोध का शीर्षक है 'ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास में पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र का प्रभाव'।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं –

1. ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र का संगठन तथा गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी एकत्र करना,
2. केन्द्र की गतिविधियों में ग्रामीणों की सहभागिता एवं उनके दृष्टिकोण ज्ञात करना,
3. ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास में केन्द्र के प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए अपनाई गई पद्धति निम्नानुसार है :

शोध अध्ययन का स्वरूप वर्णनात्मक है जिसमें विषय से संबंधित तथ्यात्मक सामग्री के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें अध्ययन की इकाई ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र के लाभार्थी हैं इनमें नवसाक्षर, शाला त्यागी, स्कूली बच्चे तथा समुदाय के अन्य लाभार्थी शामिल हैं। यह अध्ययन मध्यप्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला तथा छिंदवाड़ा जिले में पूर्ण किया गया है। शोध अध्ययन के उद्देश्य एवं विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिले जहां सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र संचालित हो रहे हैं, के लाभार्थियों को शामिल किया गया है। अध्ययन हेतु तथ्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश के 6 जोन ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र तथा लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र एवं भौगोलिक स्थिति तथा लोगों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को सर्वप्रथम 6 जोन मालवा निमाड़, भोपाल क्षेत्र, चंबल,

बुंदेलखंड, महाकौशल तथा विंध्यप्रदेश में से एक जोन महाकौशल का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया। चयनित जोन महाकौशल में सामान्य और आदिवासी जिलों को चिन्हित किया गया।

एक तिहाई से अधिक आबादी आदिवासी होने पर आदिवासी जिला माना गया। निदर्शन विधि से दो सामान्य जिले – जबलपुर एवं नरसिंहपुर तथा दो आदिवासी जिले – मण्डला एवं छिंदवाड़ा, कुल 4 जिलों का चयन किया गया है।

विकास खण्डों का चयन

चयनित प्रत्येक जिले से दैव निदर्शन आधार पर 3–3 विकास–खण्डों का चयन किया गया है, इस प्रकार कुल 12 विकास–खण्ड दैव निदर्शन आधार पर चयनित किए गए हैं।

ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों का चयन

चयनित प्रत्येक विकास–खण्ड से 4–4 ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों का चयन दैव निदर्शन आधार पर किया गया है।

लाभार्थियों का चयन

प्रतिदर्श में चयनित पुस्तकालय केन्द्रों में दर्ज लाभार्थियों के बारे में केन्द्र प्रभारी प्रेरकों से पुस्तक वितरण रजिस्टर के आधार पर केन्द्र वार जानकारी प्राप्त की गई। तत्पचात् 48 पुस्तकालय केन्द्रों में दर्ज कुल सदस्यों को जोड़ा गया। फिर उनका औसत निकालकर प्रति केन्द्र दर्ज सदस्यों की गणना की गई है।

48 पुस्तकालय केन्द्रों पर कुल 6096 लाभार्थी (सदस्य) पंजीकृत हैं जिनमें 2688 पुरूष एवं 3408 महिला लाभार्थी हैं। प्रति पुस्तकालय केन्द्र औसत रूप से 127 लाभार्थी पंजीकृत है जिनमें 56 पुरूष एवं 71 महिलाएं हैं। अध्ययन हेतु प्रत्येक पुस्तकालय केन्द्र से 12 लाभार्थियों का चयन किया गया जिनका साक्षात्कार किया गया तथा समुदाय के साथ चर्चा भी की गई।

ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र के लाभार्थियों को अध्ययन की मुख्य इकाई माना गया है। प्रत्येक पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र से औसत रूप से 10 से 12 लाभार्थियों का चयन कर उनसे साक्षात्कार किया गया है तथा समुदाय के साथ समूह चर्चा भी की गई है।

अध्ययन में चयनित 4 जिलों के 12 विकास–खण्डों से 48 ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र के प्रेरको तथा 564 लाभार्थियों (नवसाक्षर, शाला त्यागी, समुदाय के अन्य

लाभार्थी) से साक्षात्कार अनुसूची तथा समूह चर्चा द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की गई है। साथ ही अवलोकन द्वारा केन्द्र की भौतिक स्थिति एवं संचालित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की भी जानकारी प्राप्त की गई है।

जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम से जुड़े 60 क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र की गतिविधियों के बारे में ग्रामीणों की भागीदारी एवं दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त की गई ।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष एवं सुझाव

इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष हालांकि पुस्तकालय केन्द्र की गतिविधियों में भाग लेने वाले ग्रामीणों से साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्नों से प्राप्त उत्तर एवं केन्द्र के अवलोकन से प्राप्त तथ्यों पर आधारित हैं किंतु इनमें ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केद्र के प्रेरक तथा केन्द्रों के संचालन से जुड़े जिला, ब्लाक एवं संकुल स्तरीय अधिकारियों, कार्यकर्ताओं, स्रोत व्यक्तियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं समुदाय के साथ हुई चर्चा से उभरे तथ्यों को भी समाहित किया गया है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं –

ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास में पुस्तकालय केन्द्रों का प्रभाव :

ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों तथा प्रसारित सूचनाओं से दूर दराज के ग्रमीण लाभार्थियों के पठन–पाठन, सोच–विचार, काम करने के तरीके एवं रहन सहन आदि में मूलभूत परिवर्तन आया है।

पुस्तक पढ़ने की संस्कृति का विकास

ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों की स्थापना से ग्रामीणों का रूझान पुस्तकों की ओर बढ़ा है। अब लाभार्थी पहले की तुलना में ज्यादा संख्या में पुस्तक पढ़ने लगे हैं। पुस्तक पढ़ने का संस्कार ही देश की सभ्यता और संस्कृति का पोषण करेगा। किसी भी व्यक्ति के विकास में पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। कई बार पुस्तक की एक लाइन व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देती है। ग्रामीण पुस्तकालय लाभार्थियों को खाली समय में अध्ययन का अवसर उपलब्ध कराकर उनको विकास का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।

बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव

ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्रों द्वारा संचालित गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का बच्चों की शिक्षा

पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। केन्द्र की गतिविधियों में भाग लेने वाले पालक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील हुए हैं। उनके दृष्टिकोण में बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत ही सकारात्मक बदलाव आया है। 94 प्रतिशत केन्द्र के लाभार्थी अपने परिवार के बच्चों को शाला भेजते हैं। इनमें 82 प्रतिशत अपने परिवार की लड़कियों को भी पाठशाला पढ़ने भेजते हैं।

पाठशाला नामांकन में वृद्धि

ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्रों का बच्चों के स्कूल नामांकन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रेरकों के साथ चर्चा से स्पष्ट हुआ कि उन्होंने स्थानीय शिक्षकों के साथ मिलकर गांव का सर्वे किया और 'स्कूल चलें हम' में सार्थक पहल किया। स्थानीय होने के कारण उनके अभिप्रेरण का ग्रामीणों पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा स्कूल में नामांकन बढ़ा है। प्रेरक द्वारा किए गए जन सम्पर्क तथा प्रयास से शिक्षा से समाज का सरोकार सुनिश्चित किया गया है।

''कोई बच्चा छूट न जाए हर बच्चा स्कूल जाए''

बच्चों की शिक्षा के प्रति पालकों की बढ़ी जागरूकता का प्रमाण है कि लाभार्थी न केवल अपने बच्चों की शाला में उपस्थिति पर ध्यान देने लगे हैं बल्कि वे यह भी ध्यान रखने लगे हैं कि शिक्षक भी स्कूल समय पर पहुँचें और सीखने–सिखाने की प्रक्रिया ठीक ढंग से संचालित करें।

स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता

मध्यप्रदेश में तेज गति से बढ़ती जनसंख्या – उच्च जन्मदर के साथ मातृ एवं शिशु मृत्युदर की अधिकता, बच्चों के जन्म के बीच कम अन्तराल, लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह, बच्चों का टीकारण, बाल–विवाह, साफ–सफाई के प्रति लापरवाही आदि स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख समस्याएं रही हैं। कूड़ा कचरा निपटाने की खराब व्यवस्था और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति पर्याप्त जागरूकता का अभाव प्रदेश में बीमारी तथा उल्टी दस्त फैलने का प्रमुख कारण रहा है। अस्वच्छ पानी से होने वाली प्रमुख बीमारियां जैसे – हैजा, डायरिया, पीलिया एवं टाइफाइड आदि प्रदेश में बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई हैं।

अध्ययन से पता चला है कि ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों के द्वारा ग्रामीणों की स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं कर्यात्मकता में काफी सुधार आया है। केन्द्रों द्वारा स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों का टीकारण, गर्भवती एवं धात्री माताओं एवं शिशुओं का पोशण एवं देखभाल, परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा बीमारियों से बचाव आदि के बारे में ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं तक समुचित जानकारी का प्रचार–प्रसार किया गया है।

नियोजित पालकत्व

बच्चों के नियोजित जन्म के संबंध में ग्रामीणों की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। अब ज्यादातर लाभार्थी बच्चों के जन्म को भगवान की देन न मानकर पति पत्नी की इच्छा मानते हैं।

दो बच्चों के जन्म के बीच उचित अन्तराल

माँ तथा बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दो बच्चों के जन्म के बीच पर्याप्त अन्तराल होना चाहिए। इस संदर्भ में 79 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि दो बच्चों के जन्म के बीच कम से कम 2 वर्ष का अन्तराल होना चाहिए। ज्यादातर लाभार्थी इस तथ्य से भलीभांति अवगत हैं तथा अनुभव के आधार पर महसूस करते हैं कि जल्दी–जल्दी बच्चें पैदा होने से माता तथा शिशु का स्वास्थ्य खराब रहता है। बच्चों की उचित देखभाल नहीं हो पाती एवं माता पर काम का बोझ बढ़ जाता है।

टीकाकरण

टीकाकरण से बच्चों को कई घातक और जानलेवा बीमारियों जैसे – टी.बी., घलाघोटू, खसरा, पोलियो, खांसी, धनुर्वात आदि से बचाया जा सका है। इस बात की जानकारी पुस्तकालय केन्द्रों के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुँची है जिनके परिवार में छोटे बच्चें हैं उनमें से अधिकांश ने सभी टीके अपने बच्चें को लगवाया जाना बताया है। इससे स्पष्ट होता है कि टीकाकरण के मामले में लाभार्थी ज्यादा जागरूक हुए हैं तथा उत्तरदायी व्यवहार कर रहे हैं।

सही उम्र में विवाह

सही उम्र में बच्चों के विवाह के प्रति जानकारी में काफी वृद्धि हुई है। अधिकांश केन्द्र के लाभार्थी कानून द्वारा निर्धारित विवाह की न्यूनतम उम्र से अवगत हैं। और उनके परिवार में बच्चों का विवाह निर्धारित उम्र के बाद ही किया जाता है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि लड़कियों के विवाह के सम्बन्ध में लाभार्थियों की परम्परात्मक सोच में काफी बदलाव आया है। अध्ययन में शामिल 73 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं अपनी लड़की का विवाह 18 वर्ष से अधिक उम्र में करने का विचार रखते हैं इनमें 21 प्रतिशत का कहना है कि लड़की की शिक्षा पूरी होने के बाद ही विवाह के बारे में सोचेंगे। सामाजिक बदलाव की दिशा में यह सकारात्मक दृष्टिकोण है।

बच्चों का पालन पोषण

भारतीय समाज में बच्चों का पालन पोषण वर्षों से माता की जिम्मेदारी मानी जाती रही है। अब पुस्तकालय केन्द्रों के प्रभाव से दो तिहाई से अधिक उत्तरदाता बच्चों के पालन–पोषण हेतु माता–पिता दोनों की साझा जिम्मेदारी स्वीकार रहें हैं।

पेयजल की शुद्धता

ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्रों द्वारा संचालित गतिविधियों से ग्रामीण लाभार्थी विशेष कर महिलाएं शुद्ध पेयजल के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं। अब वे पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु छांनने के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर फिटकरी तथा क्लोरीन का भी उपयोग करने लगी हैं।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण

ग्रामीणों में केन्द्र की गतिविधियों में भाग लेने से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में वृद्धि हुई है साथ ही इस सदी की सबसे भयंकर बीमारी – एच.आई.वी. और एड्स के प्रति भी उनकी जागरूकता बढ़ी है। 80 प्रतिशत लाभार्थी यह जानते हैं कि एड्स एक रोग है। 75 प्रतिशत एड्स के फैलने के एक या एक से अधिक कारणों से अवगत हैं। 83 प्रतिशत एड्स के बचाव के तरीकों से परिचित हैं।

पर्यावरण एवं जल संरक्षण

केन्द्र की पुस्तकों के अध्ययन एवं चर्चा मण्डल में भाग लेने से लाभार्थियों में पर्यावरण एवं जल संरक्षण के प्रति काफी जागरूकता बढ़ी है। समूह चर्चा के दौरान समुदाय के लाभार्थियों ने स्पष्ट किया कि केन्द्र पर जल संरक्षण पर हुई चर्चा मण्डल के बाद विशेष रूप से जल संरक्षण हेतु खेतों में मेडबन्दी की परम्परा को पुनः शुरू किया गया है। जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समुदाय में जागरूकता लाने तथा लाभार्थियों को प्रेरित करने में केन्द्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

जल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में सरकारी एवं जनभागीदारी से 7 लाख से अधिक जल संग्रहण संरचनाए निर्मित हुई हैं।

सामाजिक विकास

पुस्तकालय केन्द्र पर जहाँ एक ओर ग्रामीणों को उनकी रूचि की पुस्तकें पढ़ने के लिए

मिलती हैं वहीं चर्चा मण्डल के माध्यम से उन्हें एक मंच उपलब्ध हुआ जहाँ वे राष्ट्रीय एवं स्थानीय महत्व के सामयिक मुद्दों एवं समस्याओं पर चर्चा करते हैं, अपनी इच्छाओं एवं अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। इससे ग्रामीणों को अपनी आवश्कताएं एवं शिकायतों को व्यक्त करने के लिए आत्मविश्वासपूर्ण सहज वातावरण उपलब्ध हुआ है। जहां वे अपने विकास की योजना बनाने के साथ–साथ अपने सामूहिक एवं व्यक्तिगत हित के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उनके वास्तविक कारणों को ज्ञात कर आपसी विचार विमर्श एवं सहयोग से उनके समाधान का प्रयास करते हैं। इन मुद्दों में स्वास्थ्य एवं बीमारी से बचाव, टीकाकरण, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, महिला–पुरूष समानता, बालिका शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, कृषि की उन्नत तकनीक एवं पशुपालन, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सद्भाव आदि हैं।

कुछ गांवों में पुस्तकालय केन्द्र के लाभार्थियों ने अपने गांव से बाहर निकलकर विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों से भेंट कर अपने गांव की शिक्षा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में गुणात्मक सुधार हेतु सार्थक प्रयास किया है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और समस्याओं से संघर्ष करने की उनकी ताकत बढ़ी है। साथ ही उनके वैचारिक सोच एवं व्यक्तित्व में परिपक्वता आई है। जिससे केन्द्र के लाभार्थी व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर गांव और समाज के विकास के बारे में सोच रहे हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीणों की सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है और उनमें रचनात्मक नेतृत्व की क्षमता विकसित हो रही है।

सांस्कृतिक विकास

पुस्तकालय केन्द्रों पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों जैसे – भजन/कीर्तन, लोकगीत, लोक नाट्य तथा धार्मिक प्रवचन एवं सत्संग से न केवल लाभार्थियों को स्वस्थ मनोरंजन के अवसर मिले हैं बल्कि इनसे ग्रामीणों को अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा एवं सन्देश भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही लाभार्थियों की सांस्कषतिक विरासत को संरक्षण भी मिला है। इन गतिविधियों से लाभार्थियों का भावनात्मक लगाव होने से केन्द्र पर उनकी अच्छी भागीदारी प्राप्त हुई है। ग्रामीणों के आपसी सम्बन्धों में घनिष्ठता बढ़ाने में भी सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रभावी योगदान है।

सामाजिक रूढ़ियों एवं अन्धविश्वास के प्रभाव में कमी

ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्र पर पुस्तकों के अध्ययन तथा चर्चामण्डल के दौरान आपसी विचार–विमर्श एवं विशेषज्ञों के साथ चर्चा से ग्रामीण लाभार्थी, सामाजिक कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों के प्रति जागरूक होकर संवेदनशील बने हैं जिससे सामाजिक कुरीतियों एवं

अन्धविश्वासों के प्रभाव में कमी देखी गई है। अध्ययन के दौरान ग्रामीण समुदाय से हुई चर्चा से स्पष्ट होता है कि लाभार्थी समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ जैसे – बाल विवाह, दहेज, बीमारी भगवान की नाराजी से फैलती है, पहला बच्चा लड़का ही होना चाहिए, कम उम्र में लड़की का विवाह करने से कन्यादान का फल मिलता है, बच्चों का जन्म भगवान की मर्जी, केवल लड़कों को ही अच्छी शिक्षा दिलाना आदि सामाजिक रूढ़ियों एवं अन्धविश्वासी मान्यताओं के प्रति जागरूक हुए हैं।

अभिव्यक्ति एवं निर्णय क्षमता में निखार

पुस्तकालय केन्द्रों पर अध्ययन हेतु पुस्तकों के चयन तथा चर्चा मण्डल की गतिविधियों में भागीदारी से ग्रामीणों को सामाजिक मुद्दों पर चर्चा में भाग लेने, अपने विचार तथा अपेक्षाएं व्यक्त करने के साथ सामूहिक चिंतन तथा निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ साथ अपने विचारों को व्यक्त करने तथा निर्णय लेने की क्षमता में निखार आया है। अध्ययन के दौरान समुदाय के साथ हुई चर्चा से पता चला है कि अब लाभार्थी परिवार में बच्चों का जन्म, शिक्षा, विवाह तथा घर के अन्य कई छोटे–छोटे मुद्दों पर परविार के अन्य सदस्यों एवं विशेषकर महिलाओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लेते हैं। यद्यपि अन्तिम निर्णय अभी भी परिवार के मुखिया द्वारा लिया जाता है।

संगठनात्मक विकास

ग्रामीण पुस्तकालय के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न संगठन जैसे भजन मण्डल, स्व सहायता समूह, महिला मण्डल तथा नवयुवक मण्डल आदि से जुड़ने का अवसर मिला है।

इससे संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। ये संगठनात्मक समूह सामान्य ग्रामीण एवं आदिवासी दोनों ही क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। इन संगठनों से जुड़ने के कारण उनमें एकता की भावना विकसित हो रही है। समूह में बैठने तथा आपसी बातचीत और चर्चा द्वारा सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु मिल–जुलकर प्रयास करने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है।

वंचितों का विकास

अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण पुस्तकालयों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी/विकास योजनाओं के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है तथा केन्द्र द्वारा प्रसारित जानकारियों के आधार पर वंचित लोग विभिन्न कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

अध्ययन में 82 प्रतिशत लाभार्थियों ने पुस्ताकलय के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अधार पर किसी एक या एक से अधिक योजनाओं का लाभ या तो स्वयं लिया है या गांव के किसी अन्य पात्र हितग्राही को लाभ दिलाने में मदद किया है।

महिला सशक्तीकरण

प्रदेश में साक्षरता एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किए गए ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों की गतिविधियों एवं कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी एक बड़ी उपलब्धि है। सामाजिक रूढ़ियों एवं अन्धविश्वास से ग्रसित ग्रामीण महिलाएं पुस्तकालय केन्द्रों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। अध्ययन के दौरान 55 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने बताया है कि अब वे उम्मीदवार की अच्छाई देखकर मदतान करती हैं।

पुस्तकालय केन्द्र के माध्यम से 44 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। स्व–सहायता समूहों से जुड़कर महिलाओं में बचत की आदत विकसित हुई है।

समसामयिक मुद्दों एवं समस्याओं के प्रति महिलाओं में जागरूकता का विकास

अध्ययन से पता चलता है कि सामान्य ग्रामीण एवं आदिवासी दोनों ही क्षेत्रों में ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों पर आयोजित चर्चा मण्डल में भाग लेने से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीणों में काफी चेतना एवं भागीदारी बढ़ी है जैसे – स्कूल में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, लड़का–लड़की समानता, साफ–सफाई एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, कृषि एवं पशुपालन के तरीकों में सुधार तथा गांव के विकास के लिए मिलकर काम करने की भावना का विकास हुआ है।

ग्रामीण पुस्तकालयों के संचालन में आनेवाली समस्याएं एवं कमजोरियाँ

- अध्ययन में प्रेरक साक्षात्कार एवं पुस्तकालय केन्द्रों के संचालन से जुड़े विभिन्न स्तरीय अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ हुई चर्चा से स्पष्ट हुआ है कि प्रेरकों को नियमित मानदेय न मिलना एक प्रमुख समस्या है। इसके कारण प्रेरक हतोत्साहित हुए हैं और केन्द्र की गतिशीलता भी प्रभावित हुई है।
- तीन चौथाई (75 प्रतिशत) पुस्तकालय केन्द्र, शाला भवन या अन्य सामुदायिक भवनों में स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ केन्द्रों की गांव की बसाहट से ज्यादा दूरी तथा विद्युत व्यवस्था के अभाव में शाम के समय ग्रामीणों को वहां जाने में मुश्किल होती है।

इससे महिलाओं की उपस्थिति विशेष रूप से प्रभावित होती है। विद्युत व्यवस्था के अभाव में इलेक्ट्रानिक उपकरणों जैसे टी.वी. एवं पी.ए.सिस्टम आदि का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है।

- प्रेरकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त न होना एक प्रमुख समस्या है। उपयुक्त प्रशिक्षण के अभाव में प्रेरकों को केन्द्र की गतिविधियों के संचालन एवं प्रबंधन के साथ ही केन्द्र से लाभार्थियों को जोड़ने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- पुस्तकालय केन्द्रों पर संचालित गतिविधियों की समीक्षा एवं मॉनीटरिंग हेतु कोई स्पष्ट रणनीति एवं कार्ययोजना न होने से केन्द्रों की मॉनीटरिंग व्यवस्था काफी कमजोर है। जिससे प्रेरको को आवश्यकता पड़ने पर विभाग के अधिकारियों का सहयोग और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है।
- अध्ययन में देखने में आया है कि कुछ केन्द्रों की संसाधन सामग्री जैसे – टी.वी. एवं आलमारी आदि ग्राम प्रभारी शिक्षक या प्रभावशाली जनप्रतिनिधि ने अपने पास रख लिया है। इसी प्रकार पी.ए. सिस्टम कोई किसी सार्वजनिक कार्य के लिए ले गया तो वापस ही नहीं किया।
- ग्रामीण पुस्तकालय केन्द्रों का जिलों के सरकारी तथा गैरसरकारी अन्य विकास विभागों / एजेन्सियों के साथ बेहतर तालमेल एवं समन्वय का अभाव है। इस हेतु जिलों द्वारा कोई स्पष्ट रणनीति और कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है। यद्यपि स्थानीय स्तर से प्रेरकों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय हेतु प्रयास किया गया है जो कि पर्याप्त नहीं है।
- अध्ययन के समय देखने में आया है कि पुस्तकालय केन्द्रों को दस्तावेजीकरण हेतु कुल 10 रजिस्टर उपलब्ध कराए गए है इनमें से अधिकांश रजिस्टरों में अपेक्षित प्रविष्टियाँ दर्ज करने की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है इस दिशा मे सुधार की विशेष आवश्यकता महसूस होती है।

भविष्य में शोध हेतु सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश में ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों के प्रभाव की दिशा में एक प्रारम्भिक अध्ययन है, जो आधार दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है। इस शोध अध्ययन के परिणाम भविष्य में अन्य शोधों के लिए आधार सूत्र का कार्य कर सकते हैं। भविष्य में शोध हेतु निम्न सुझाव हैं –

- यह अध्ययन जबलपुर, नरसिंहपरु, मण्डला तथा छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्दों तक सीमित है। प्रदेश के वृहद भौगोलिक क्षेत्र एवं सामाजिक

आर्थिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नता को देखते हुए इस तरह के परिणाममूलक अध्ययन कुछ अन्य जिलों में भी किए जा सकते हैं।

- इसी तरह का अध्ययन उपरोक्त में से किसी भी जिले में बड़े प्रतिदर्श पर दोहराया जा सकता है।
- दो जिलों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन भी किए जा सकते हैं।
- स्कूल शिक्षा पर पुस्तकालय केन्द्रों का प्रभाव ज्ञात करने हेतु प्रदेश के किसी भी जिले में अध्ययन किए जा सकते हैं।

संदर्भ

1. सिंह, अरविन्द कुमारः 1996, साक्षरता से ही विकास की गति में वृद्धि संभव, क्रिएशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली, पृ.31–36 ।
2. सिंह, प्रभाकरः 1999, मध्यप्रदेश में समतुल्यता कार्यक्रम की आवश्यकतां, राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, इन्दौर (म.प्र.) ।
3. सिंह, प्रभाकरः 2008 'ब', ग्रामीण पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों का समीक्षात्मक अध्ययन, जन साक्षरता जर्नल, राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, इन्दौर, वर्ष 9, अंक 3, पृ. 34–43 ।
4. कुमार, वी. मोहनः 2008, एडल्ट एण्ड लाईफ लान्ग लर्निंग अपार्च्युनिटी इन इलेवेन्थ फाइव इयर प्लान, इन्डियन जर्नल ऑफ एडल्ट एजुकेशन, वाल्यूम 69, अप्रैल–जून, पृ. 16–29
5. रिपोर्ट 2006, स्टेटस ऑफ लिटेरसी प्रोग्राम इन इंडिया 2004–05, नेशनल लिटेरसी मिशन, डायरेक्टोरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, नई दिल्ली

महत्वपूर्ण है भौक्षणिक संस्थाओं में मानव अधिकार संस्कृति संबंधी शिक्षा

– मोहम्मद हामिद अंसारी

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणापत्र पारित किया गया था। इस दिन को दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रुप में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा भी इस दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सन् 2015 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस समारोह को भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संबोधित किया। अपने इस भाषण में श्री हामिद अंसारी ने देश के वर्तमान परिस्थितियों में हर नागरिक के लिए एक सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता तथा पहले से कहीं ज्यादा तत्परता से पालन किए जाने पर बल दिया। सामाजिक एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत तमाम कार्यकर्त्ताओं तथा अध्ययेताओं के लिए यह भाषण पाथेय हो सकता है। प्रस्तुत है इस भाषण के मुख्य अंश।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस उन तारीखों में से एक है जिसे मानवता की चिंता करने वाले, उसे क्रूरता से दूर ले जाने तथा मानवता की ओर और अधिक ले जाने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों द्वारा याद दिया जाता है। इसी वजह से, मुझे आज यहां इस अवसर को सभी के साथ मिलकर मनाने की खुशी है।

मानव अधिकार की संकल्पना काफी प्राचीन है। तथापि, अभी हाल के समय तक यह सार्वभौमिक होने के बजाय चयनात्मक था। इस तारीख अर्थात 10 दिसम्बर की विशिष्टता इस बात के लिए है कि हम इसका स्मरणोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं।

वर्ष 1948 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया था जिसमें ''सपूर्ण मानव जाति के अंतर्निहित गरिमा और उनके समान और अपरिहार्य अधिकारों'' को मान्यता दी गई और उसे ''संपूर्ण मानव जाति'' के लिए ''विश्वभर में स्वतंत्रता, न्याय और शांति के आधार'' और सभी लोगों और राष्ट्रों के लिए उपलब्धि के एक साझे मानक'' के रूप में घोषित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अपनाये गये अनुवर्ती दस्तावेजों में सार्वभौमिक घोषणा में स्थापित सिद्धांतों पर और अधिक बल दिया गया और उसमें ऐसे मूल नागरिक, राजनीतिक,

आर्थिक, सामजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल किया गया जो समस्त मानव जाति को मिलने चाहिए और जिनका सभी समाजों में सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।

इन अधिकारों की तीन विशेषताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिएः (क) वे ''प्राकृतिक'' हैं और मानव होने के नाते हमें मिले हुए हैं (ख) वे ''सार्वभौमिक' हैं और राष्ट्रीयता, निवास के स्थान, लिंग, राष्ट्रीय या मूल प्रजाति, रंग, धर्म, भाषा, या किसी अन्य दर्जे पर विचार नहीं करते हुए पूरी मानव जाति से संबंधित हैं, और (ग) वे अपरिहार्य हैं और विशिष्ट स्थितियों को छोड़कर और आवश्यक प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना छीने नहीं जा सकते हैं।

सार्वभौमिक घोषणा में प्रतिष्ठापित इन मूलभूत सिंद्धांतों के अनुपालन में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अधिकतर – यद्यपि सभी नहीं – सदस्यों द्वारा अनेक प्रसंविदाओं और घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उनका निर्दिष्ट उद्देश्य ''संप्रभुता के उनके दायित्वों के मूल तत्तव'' के रूप में सदस्य राष्ट्रों की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाना है। यह सिद्धांत मानव के, एक सामाजिक प्राणी जो समाज में रहता है, के रूप में उसकी मूल प्रकषति से उद्भूत होता है जिसमें न्याय पहला सदगुण बन जाता है, जिसे पवित्र माना जाता है।

विश्वभर में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बल प्रदान करने तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों से निपटने और इनके संबंध में सिफारिशें करने के लिए मार्च, 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित की गई संयुक्त मानवाधिकार परिषद् इसका सर्वाधिक नवीनतम प्रमाण है। इसके प्रचालनात्मक तंत्र में सभी सदस्य राज्यों में मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा और विशिष्ट देशों में इस विषय वस्तु से जुड़े मुद्दों अथवा मानवाधिकार की स्थितियों की जांच करने, के संबंध में सलाह देने और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं शामिल हैं।

इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों को बनाए रखने और उन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रीय सरकारों की जिम्मेदारी संदेह से परे है। फिर भी, जैसा कि टी.एस.इलियट ने लिखा था –

''विचार और वास्तविकता के बीच प्रस्ताव और कार्रवाई के बीच पड़ती है परछाई''

इस अंतराल को दूर करने के लिए प्रयास जारी है। इस प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्रवाइयों के लिए राज्यों की जिम्मेदारी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्ययन में तथा इसके साथ – साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा के कार्यान्वय में विचार किया गया है।

विगत दो दशकों के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि मानवाधिकारों के संबंध में राज्यों की तिगुनी जिम्मेदारी होती है: अपने दायित्वों का सम्मान करना, उनका संरक्षण करना और उन्हें पूरा करना। यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है:

- सम्मान करने का दायित्व से आशय है कि राज्यों को मानव अधिकारों के उपयोग में हस्तक्षेप करने या उन्हें कम करने से आवश्यक रूप से बचना चाहिए।
- संरक्षण के दायित्व में यह अपेक्षित होता है कि राज्य व्यक्तियों और व्यक्ति समूहों का मानव अधिकार के उल्लंघन से संरक्षण करें।
- दायित्वों को पूरा करने से यह आशय है कि राज्यों को मूलभूत मानव अधिकारों का उपभोग करने को सुगम बनाने के लिए आवश्यक रूप से सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

इन सिद्धांतों और किया उन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों का उपयोग किस हद तक किया जा सकता है और जाते हैं तथा उनकी निरपवाद सार्वभौमिक प्रयोज्यता का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जोरदार बहस और अत्यधिक विवाद का विषय है क्योंकि ये वेस्टफैलियाई सिद्धान्त पर आधारित हैं और इन मंचों पर विधि और नैतिकता में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास के – वास्तविक और प्रेरित – निकट भविष्य में फलदायी रहने की संभावना नहीं है।

वांछित की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हुए उद्देश्य पर ध्यान देना अधिक आसान है। मैं अपने देश के मानवाधिकारों के बारे में प्रतिबद्धता और कार्यप्रदर्शन का उल्लेख कर रहा हूँ।

हमारे संविधान–निर्माता मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा से अवगत थे। हमारे संविधान में सन्निहित मौलिक अधिकार में ऐसे अधिकाशं अधिकार शामिल हैं जो सार्वभौम घोषणा में उद्धृत हुए हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है और समानता के आधार का सृजन करता है जो मानवाधिकारों के उपयोग की आधारशिला है।

हाल के वर्षों में हमारें न्यायलयों ने सविंधान के मौलिक अधिकारों की संकल्पना पर विचार किया है और इसके क्षेत्र और स्वरूप का विस्तार किया है। इस प्रकार न्यायसंगत तर्क दिया जा सकता है कि सार्वभौम घोषणा में उद्धत कई अधिकारों को अब मौलिक अधिकारों के विस्तृत अर्थ में ग्रहण कर लिया गया है। न्यायलयों द्वारा विशेषतः अनुच्छेद 21 के अर्थ और स्वरूप को अधिक व्यापक बनाने हेतु प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ को और अधिक गतिशील बनाने के रूप में हस्तक्षेप किया गया है। अब प्राण के अधिकार में मानवीय सम्मान और जीवन की गुणवता शामिल है।

इसी प्रकार, संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र से भी आगे हैं।

इन अधिकारों को लागू करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के रूप में एक तंत्र स्थापित किया गया है। नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 और नियम, 1977 तथा विशेष रूप से कमजोर समूहों की देखभाल और संरक्षण का उपबंध करने वाले विधान समेत कतिपय अन्य विधान जिसका उल्लेख मानवाधिकारों के संदर्भ में किया जा सकता है, के लिए तंत्र स्थापित किया गया है।

इस प्रकार, मानवाधिकारों की प्राप्ति और उन्हें लागू करने हेतु संस्थागत ढ़ाँचा सुव्यवस्थित है। अतः आज हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि :

- वांछित उद्देश्यों की पूर्ति किस हद तक हुई है;
- उनकी उपलब्धि में व्यावहारिक बाधाएं क्या हैं;
- इन बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार के प्रयासों का प्रभाव; और
- देश में सिविल सोसायटी की भूमिका और मानवाधिकारों की स्थिति का आकलन।

सरकार और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त रिपोर्टों के अध्ययन से मानवाधिकार संबंधी निगरानी और रक्षोपाय प्रणालियों की स्थिति का पता चलता है।

सन् 2011–2012 का हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (अद्यतनतम प्रतिवेदन जो उपलब्ध हैं) मानवाधिकार हनन के प्रकारों को दर्शाता हैः

(1) हिरासत में मौत
(2) पुलिस ज्यादती, फायरिंग, मुठभेड़
(3) सैन्य, अर्द्धसैनिक बल और पुलिस द्वारा विरोध, यातना या फायरिंग
(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का हनन
(5) महिलाओं और बालकों पर अत्याचार
(6) बंधुआ मजदूर और बाल श्रम
(7) स्वास्थ्य का अधिकार और
(8) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान के मामले।

सन् 2014–2015 के लिए गष्ह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि इस अवधि में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जाँच प्रभाग के सामने न्यायायिक हिरासत में मौत के 3707 मामले, पुलिस हिरासत में मौत के 326 मामले और दूसरे 1406 तथ्यों का पता लगाने वाले मामले समेत हिरासत में 5439 मौत के मामले आए। सन् 2011–2012 में हिरासत में हुई मौत की संख्या 1302 थी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय में विशेष प्रतिवेदक द्वारा वर्ष 2012–2016 के लिए भारत के संबंध में सार्वभौम सावधिक समीक्षा में अनेक समुक्तियां की गई है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यता हैः

- उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की न्यायसंगता स्थापित करने हेतु संविधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। बैक लॉग और क्षमता, कार्यबल और संसाधनों की कमी के कारण मानवाधिकार हनन के मामलों को निपटाने में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण न्यायपालिका के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सतत कार्य और राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना का स्वागत करते हुए इसमें चिन्ता व्यक्त की गई है कि मानवाधिकार उल्लंघन की जांच पुलिस द्वारा किया जाना जारी है जो अनेक मामलों में कथित तौर पर अपराधकर्ता भी रहते हैं। इसमें सरकार से मानवाधिकार रक्षकों को संरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष विधान के अधिनियमन का आग्रह किया गया है।
- यह गंभीर चिंता व्यक्त की गई है कि भेदभाव नहीं किए जाने की संवैधानिक गारंटी और भेदभावपूर्ण कृत्यों को दंडित करने संबंधी आपराधिक विधि उपबंधों के बावजूद महिलाएं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, शहरी गरीब, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों और धार्मिक अल्पसंख्यकों समेत वंचितों और सीमान्त समूहों के सदस्यों के प्रति व्यापक तौर पर अक्सर सामाजिक रूप से स्वीकृत भेदभाव, उत्पीडन और हिंसा की जाती है।
- यह चिंता व्यक्त की गई है कि यातना संबंधी अभिसमय में भारत के अनुसमर्थन के बाद भारतीय संसद में पुरःस्थापित यातना विधेयक (2010) को बहुत कमजोर कर दिया गया। अंततः इस विधेयक का संसद द्वारा अनुमोदन भी नहीं किया गया है।
- भारत उन कुछ देशों में से है जहाँ अभी भी मृत्यु दंड विद्यमान है और सन् 2010 में भारत ने 'मृत्यु दंड के प्रयोग पर पांबदी' पर संयुक्त महासभा के संकल्प 65/206 के विरूद्ध मत दिया था।

ग्लोबल सिटीजनशिप कंट्री रिपोर्ट कार्ड में जिसके अंतगर्त भारत पर अद्यतन रिपोर्ट में मानवाधिकार सूचकांक, पारदर्शिता और सुशासन शामिल है, भारत को 12 प्रायोगिक देशों में जर्मनी, ब्राजील, पेरू और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद 5वें स्थान पर रखा गया है। इसमें यह बताया गया है कि भारत ने छः अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिसमय में से पाँच का अनुसमर्थन किया है और वर्ष 2014 में बड़े पैमाने पर सहभागिता तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के कारण भारत की रैंकिग ऊपर है। तथापि, समलैंगिकता के अपराधीकरण की निरंतरता के कारण विशेषतः समानता सूची में भारत की रैंकिग अच्छी नहीं है।

वर्ष 2015 के लिए ह्यूमन राइट्स वाच वर्ल्ड रिपोर्ट में गैर सरकारी संगठनों पर सरकार की पाबंदियों और कतिपय प्रतिबंध लगाये जाने के कारण भारत की आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि जाति–आधारित भेदभाव, सीमान्त समुदायों की उपेक्षा और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा अभी भी जारी है। इसमें इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है और इसे 'सुरक्षा बलों की जवाबदेही की कमी' कही गई क्षमता और जवाबदेही बढ़ाने हेतु अत्यावशक पुलिस सुधार की सिफारिश की गई है। भारत के कई भागों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को जारी रखे जाने पर भी चिंता व्यक्त की गई है।

इसमें उच्चतम न्यायलय के जनवरी 2014 के निर्णय द्वारा कैदियों के मृत्युदंड को बदलने और मृत्यु दंड के संबंध में कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने संबंधी दिशा निर्देश जारी करने की सराहना की गई है परंतु भारत में मृत्युदंड को जारी रखे जाने पर चिंता व्यक्त की गई। इस रिपोर्ट में तिब्बत, म्यांमार और अफगास्तिान से शरणार्थियों को पनाह देना जारी रखने के लिए भारत की सराहना की गई जबकि यह नोट किया गया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी अभिसमय का अभिपुष्टि नहीं की थी।

एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवेदन 2014/15 में उल्लेख किया गया है कि न्यायलय के निर्णयों में विधिक सुधारों के बावजूद सरकार के प्राधिकारी बालक, महिलाओं, दलित और आदिवासी समेत भारतीय नागरिकों के प्रति अपराधों को रोकने में असफल रहे हैं। इसमें सशस्त्र उग्रवादियों/आतंकवादी समूहों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघनों जिनमें नागरिकों को मारा गया, घायल किया गया और संपति बर्बाद की गई, पर चिंता व्यक्त की गई है। इसमें एक मजबूत यातना निवारण विधेयक पारित करने में भारत की असफलता पर खेद व्यक्त किया गया है और यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी हिरासत में अभी भी यातनाएं और अन्य दुर्व्यवहार किए जाते हैं।

इन रिपोर्ट में बताई गई बहुत सी कमियों का कुछ राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठनों की आवधिक रिपोर्टो में हवाला दिया गया है और संसद में भी इनका उल्लेख किया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि कभी–कभी सरकारी एजेंसियों द्वारा दर्शाई गई स्थिति और सामने

आई वास्तविक स्थिति में अंतर होता है। इसका एक कारण तो यह है कि जनता मानव अधिकार मानकों के प्रति अधिक जागरूक हुई है और जिस सीमा तक और जिस गति से चूकों और कथित उल्लंघनों को जनता की जानकारी में लाया जाता है, वह इसका दूसरा कारण है।

अनेक नए मुद्दे मानव अधिकार कार्य सूची के अंग बने हैं और आगामी दशकों में महत्वपूर्ण बने रहेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को लेकर टकराव, स्त्री–पुरूष समानता का मुद्दा और स्त्रियों के प्रति हिंसा तथा समुदायों के बीच जातिगत, साम्प्रदायिक, नस्लीय और उप–राष्ट्रीय टकरावों की बढ़ती घटनाएं और कुछ विकासमूलक परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव इसके कुछ उदाहरण हैं। राज्य के नियंत्रण से बाहर के तत्व जैसे हिंसक विद्रोही गुट, आतंकवादी और अतिवादी, वाम और दक्षिण दोनों पंथों के, भी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरें हैं।

इन स्पष्ट आकलनों को देखते हुए, हमें एक समाज के रूप में इनके प्रति किस तरह प्रतिक्रिया करनी चाहिए यह एक सवाल है। एक संभावित प्रतिक्रिया तो यह है कि हम इन्हें सच्चाई से परे बताते हुए खारिज कर दें अथवा उन्हें विरोधी तत्वों का काम बताते हुए उनकी निन्दा करें, जहां तक कि उनके काम को 'राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक' मानें। दूसरा यह हो सकता है कि हम परिपक्व तरीके से इनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया दें।

हमारे जैसे जीवन्त और मजबूत लोकमंत्र में मानव अधिकारों से संबंधित नीतियों और संस्थाओं में व्याप्त चूकों और खामियों को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। भारत का संविधान और उसमें निहित सिद्धांत, अधिकार और कर्तव्य हमारे संदर्भ बिन्दु होने चाहिए। इस आधार पर, राज्य, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों द्वारा कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हम कानूनी और नैतिक रूप से कर्तव्यबद्ध हैं। यह एक सामाजिक कर्तव्य है और इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए।

यहीं पर आकर शैक्षणिक संस्थाओं में मानव अधिकार संस्कृति संबंधी शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए, नागरिक और नागरिक समाज संस्थाओं को हमारे समय की नैतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी सहायता करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

एक राष्ट्र के रूप में हमें अपनी सामूहिक चेतना को जागृत करना होगा। हमें वैश्विक मानकों को हासिल करने के लिए प्रयास करने की भी आवश्यकता है।

पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करने में शिक्षक की भूमिका

– महेन्द्र कुमार वर्मा

भारतीय जीवन दृष्टि प्रारम्भ से ही समन्वय की रही है। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने न केवल इस रहस्य को उद्घाटित किया है कि सम्पूर्ण सृष्टि के सभी घटकों के बीच एक सांतत्य और सामंजस्यपूर्ण लय विद्यमान है बल्कि यह कोशिश की है कि हर मनुष्य सृष्टि में सह अस्तित्व के इस रहस्य को समझे तथा अपने जीवन के हर पहलू के बीच ही नहीं बल्कि सृष्टि के सभी घटकों के बीच आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश करे। सह अस्तित्व के इस भाव का भारतीय धर्म ग्रन्थों में बारम्बार उल्लेख किया गया है। उपनिषद् कहते हैं – सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवाव है तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विशाव है। इसका आशय है कि हम साथ साथ बढ़ें। इस साथ–साथ जीने और बढ़ने की दृष्टि तथा प्रकृति को पूज्य मानकर उसके साथ मिलकर रहने का भाव भारतीय जीवन पद्धति की अमूल्य देन है।

हमारे मनीषी यह जानते थे कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व और हम एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। इसलिए सदियों तक मनुष्य ने स्वयं के जीवन यापन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो किया पर प्राकृतिक संसाधनों का यह दोहन एक निश्चित पैमाने तक ही सीमित रहा। परिणामस्वरुप हजारों वर्षों तक मनुष्य और प्रकृति दोनों के मध्य साम्य की स्थिति बनी रही। लेकिन वर्तमान दौर की सच्चाई कुछ और ही है। विगत लगभग डेढ़ सौ वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, भोगवादी संस्कषति की चपेट में आकर मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का इस निर्लज्ज तरीके से दोहन किया है कि प्रकृति की समस्थैतिकी प्रणाली चरमरा गई है जिसके कारण पर्यावरण में असन्तुलन उत्पन्न हो गया। यह स्थिति भयावह होकर पर्यावरण अवनयन का कारण बन गई है। प्रकृति के तमाम अवयवों की गुणवत्ता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है और हालात यह है कि आज जल, वायु, मृदा, ध्वनि, नाभिकीय और जैविक संरचना के प्रदूषण में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। इन सबके कारण स्थिति बद् से बद्तर हो गई है और गहराई से विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है कि मानव आज खतरे में पड गया है और स्थिति अगर लम्बे समय तक ऐसी ही बनी रही और इसके निदान के लिए अविलम्ब प्रयास न किया गया तो सम्पूर्ण मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। यह सुकून की बात है कि स्वयं का अस्तित्व खतरे में है यह जानकर ही सही, मानव को पर्यावरण के संरक्षरण का ध्यान आया है।

आज पर्यावरण की गुणवत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाये रखने में विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

यदि आज के विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण के बारे में सचेत होंगे तो ही भविष्य में पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकेगा। विद्यार्थियों में पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में परिवार, विद्यालय एवं समाज की महती भूमिका हो सकती है। शिक्षक समाज का सदैव अग्रणी, मार्गदर्शक एवं सम्मानित सदस्य रहा है। शिक्षक, परिवार एवं समाज को जोड़ने वाली एक ऐसी कड़ी है जिसका दोनों ही अंगों पर प्रभाव रहा है। वह परिवार एवं समाज में विकसित होने वाले मूल्यों, परम्पराओं एवं संस्कारों को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकता है। साथ ही दोनों के मध्य की दूरी को कम करके समुचित साम्य स्थापित करने की क्षमता रखता है।

शिक्षक का प्रभाव उसके छात्र पर सर्वाधिक होता है क्योंकि शिक्षक एवं छात्र के मध्य सम्बन्ध आत्मीय, मधुर व पिता–पुत्र तुल्य होता है। छात्र अपने शिक्षक के आचरण व व्यवहार से सीखते हैं, उनका अनुसरण व अनुकरण करते हैं तथा दीर्घकाल में उसे अपने जीवन में व्यवहार को निर्धारित करने वाले मूल्यों के रुप में समाहित कर लेते हैं। बालक में मूल्यों को विकसित करने में माता, पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक व समाज के अन्य सदस्यों में शिक्षक केन्द्रीय भूमिका में होता है। उसका एक कारण यह भी है कि छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करता है तथा परिवार के बाद उसी के सम्पर्क में सबसे अधिक रहता है।

मूल्यपरक पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करने में शिक्षक की भूमिका अत्यन्त विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है। शिक्षक, परिवार, विद्यालय एवं समाज में अपना योगदान प्रस्तुत कर सकता है। विद्यालय में वह प्रारम्भिक कक्षाओं से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं तक स्तरानुसार अपने विचारों व तथ्यों को विद्यार्थियों में ज्ञान, भाव व क्रिया स्तर पर सम्प्रेषित करता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों एवं समाज में चेतना उत्पन्न करने हेतु पृथ्वी, प्रकृति तथा पर्यावरण के सन्दर्भ में यथार्थ एवं सारगर्भित ज्ञान प्रदान करने उनके प्रति स्नेह भाव उत्पन्न कर सकते हैं।

लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक भी मनसा–वाचा–कर्मणा इस महती दायित्व के निर्वहन हेतु प्रस्तुत हों। उन्हें विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण तथा मानव जीवन के बीच के संबंधों की वैज्ञानिकता के साथ–साथ अपने प्राचीन वैदिक कालीन उन विचारधाराओं के दर्शन कराने होगें जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती थी और जिसके कारण भारत में एक लम्बे काल खण्ड तक प्रकृति और मानव के बीच सहअस्तित्व की स्थिति निर्वाधरुप से बनी रही। प्रकृति की पूजा करने वाले इस देश में नदी, पहाड, वृक्षों, जीव–जन्तुओं की भी नियमित पूजा होती थी। आज भी सांप, बिच्छू, गाय, बैल, मोर, सिंह, चूहा, कौआ, बाज, उल्लू के साथ पीपल, नीम, तुलसी, आम, बेल, बरगद आदि की पूजा अर्चना की जाती है। यह जैव विविधता के संरक्षण एवं मानव का जीव जन्तुओं के साथ असीम स्नेह का उदाहरण है।

भारत में हम समस्त ग्रहों एवं उपग्रहों की स्तुति करते रहे हैं, समस्त वसुधा को हमने परिवार माना है। जब तक हमने इस मान्यता के साथ जीवन यापन किया तब तक यह

धरा पालने की तरह हमें संजोए रही। पर जैसे ही हमने इस समृद्ध संस्कृति से अपना नाता तोड़ने की कोशिश की हमें विनाश के दर्शन होने लगे। आज भोगवादी एवं भौतिकवादी विचारों को आत्मसात कर हमने कभी न तृप्त होन वाली तृष्णा उत्पन्न कर ली है। लेकिन सच्चाई यह है कि यद्यपि प्रकृति अपने समस्त प्राणियों की आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम है, परन्तु वह उनमें से एक के भी लोभ को तृप्त नहीं कर सकती। ऐसे में शिक्षक को छात्रों एवं समाज में यह सन्देश पहुंचाना होगा कि लोभ, भोग एवं संसाधन केन्द्रित सुखों से कभी भी वास्तविक सुख व सन्तोष की प्राप्ति सम्भव नहीं है, बल्कि ये सारे संसाधन भूख को और अधिक उद्दीप्त करते हैं। हमें न्यूनतम संसाधनों में जीवन यापन करने की कौशल व योग्यता विकसित करनी होगी ताकि हमारे साथ–साथ सभी जीव अपनी न्यूनतम जरुरतों को आसानी से पूरी कर सकें। इसके साथ ही हमें अपनी वैदिक विरासतों व विचारों यथा वसुधैव कुटम्बकम, सर्वभेते हिते रता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भावनाओं का सम्मान करते हुए पृथ्वी पर वास करने वाले सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करनी होगी। हमें उन प्राणियों के संरक्षण, संर्वधन एवं हित में योगदान देने वाले अजैविक तत्वों व घटकों को अक्षुण बनाए रखना होगा। अर्थात हमें पर्यावरण को अपने प्रथम मित्र का स्थान देते हुए बिना उसे क्षति पहुंचाए सम्पोषित विकास की अवधारणा को आत्मसात कर अपने जीवन का निर्वाह करना होगा।

इसके लिए प्रारम्भ से ही छात्रों एवं समाज को प्रकृति पर मानव की निर्भरता एवं उसके महत्व से अवगत कराना होगा। किस प्रकार प्रकृति हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इससे परिचित कराना होगा। उन्हें बताना होगा कि भोजन, आवास, वस्त्र, दवाईयां, मसाले, मेवे, सौन्दर्य सामग्री, मनमोहक दृश्य एवं मनोरजंनात्मक संसाधन आदि सभी कुछ तो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। छात्रों में पर्यावरणीय मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षक को अपने श्रेष्ठ आचरण एव उच्च चरित्र के माध्यम से छात्रों से सम्पर्क व निकटता बढानी होगी। इस हेतु विद्यालय परिसर के भीतर एवं विद्यालय परिसर के बाहर विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से पर्यावरणीय तत्वों एवं तथ्यों को छात्रों के लिए संकलित किया जा सकता है। विद्यालय परिसर में सर्वप्रथम पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों यथा एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, सांस्कृतिक आयोजनों एवं खेल–कूद के कार्यक्रमों में पर्यावरणीय विषय वस्तुओं का समावेश करके भी छात्रों को पर्यावरण के करीब लाया जा सकता है। विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा व्याख्यान प्रतियोगिता, वाद विवाद, निबन्ध प्रतियोगिता, क्विज, कला प्रतियोगिता आदि का आयोजन करके भी छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में सचेत किया जा सकता है।

समाज में पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करने के लिए विद्यालय परिसर के बाहर भी इसी तरह के अनेक कार्यक्रम विद्यार्थियों की सहायता से नियोजित किए जा सकते हैं। इसके लिये विद्यार्थियों की प्रभात फेरियां निकलवायी जा सकती है, विभिन्न प्रकार के नारे लगवाये जा

सकते हैं, विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर प्रदर्शनी लगवायी जा सकती है। व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठियां तथा साक्षात्कार आयोजित किये जा सकते हैं। स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान चलाये जा सकते हैं। छोटे–छोटे क्लब बनाकर जिसमें, प्रभावशाली समृद्ध अवकाश प्राप्त बुद्धिजीवियों को इसमें जोडकर किसी भी कार्यक्रम को सफलता की मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है।

विद्यार्थियों में पर्यावरणीय मूल्यों का विकास करने के लिये आवश्यक है कि विद्यार्थियों को प्रकृति के सानिध्य में ले जाया जाए। नदी, पहाड झील, वनों के साथ प्रकृति की सुन्दरता, सौम्यता एवं दयालुता के दर्शन कराया जाए। उन्हें जलचर, स्थलचर एवं नभचरों से परिचित कराया जाए। विद्यार्थियों को यह भी बताया जाए कि किस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप से हमारा सम्पूर्ण पर्यावरण विकृत एवं असन्तुलित होता जा रहा है। जल, वायु, मृदा, भोजन सभी कुछ किस सीमा तक प्रदूषित हो चुके हैं इसके बारे में भी विद्यार्थियों को जागरुक किया जाना चाहिए। अम्ल वर्षा, वैश्विक तापन, ओजोन स्तर क्षरण, जैव विविधता ह्रास से किस प्रकार मानव जाति प्रभावित हो रही है इसकी तीक्षणता के बारे में अकसर विद्यार्थियों को कोई खास जानकारी नहीं होती। इस बारे में विस्तार से बताने पर विद्यार्थी सहज ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत हो इस हेतु कार्य करने के लिए उद्धत हो सकते हैं।

मोक्षदायिनी गंगा जिसका पानी (जल), पानी नहीं अमृत था, को मानव ने ही विष बना दिया। हमें यह भी बताना होगा कि जल, वायु, नदी, पहाड, वन आदि समस्त प्रकृति संसाधन केवल मानव के लिए ही नहीं हैं, अपितु इन पर प्रकृति की गोद में वास करने वाले समस्त प्राणियों का समान अधिकार है और आश्चर्य की बात यह है कि स्वयं को प्रकषति के सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ मानने वाला मानव शेष जीव–जगत की पीड़ा के प्रति संवेदना शून्य है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम मानव के साथ अन्य प्राणियों के प्रति भी संवेदनशील हों तथा इस भारतीय मान्यता की सभी जीव पृथ्वी की संतानें हैं (माता भूमिः, पुत्रो अहं पृथिव्या), को मानते हुए सभी को स्वयं के विस्तृत परिवार का सदस्य माने तथा उनके प्रति उदार एवं संवेदनशील हो सभी की रक्षा का दायित्व निभाएं। तभी हमारा अस्तित्व सुरक्षित रह सकेगा और सभी के साथ हम सुखी और सुरक्षित जीवन–यापन कर सकेंगे।

संदर्भ

1. बहुगुणा, सुन्दरलाल (1996), धरती की पुकार, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. सिद्दीकी, कमाल अहमद व अन्य (2007), पर्यावरणीय अध्ययन, कुशल पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, वाराणसी।
3. AIU, University News, Special Issue on Climate Change and Global Impact: Issues and Challenges, Vol. 48, No. 24, June 14-20, 2010.

4- Srivastava, Smriti (2008), Environment and Ecology, S.K. Kataria and Sons, New Delhi.

हमारे लेखक

प्रभाकर सिंह
106–ए, सूर्यदेव नगर
अन्नपूर्णा रोड़
इन्दौर, मध्य प्रदेश

महेन्द्र कुमार वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
स्नातकोत्तर एवं शोध अध्ययन शिक्षक
शिक्षा विभाग
स्वामी शुकदेवानन्द कालेज
शाहजहाँपुर
उत्तर प्रदेश

हितेश शर्मा
अकादमिक समन्वयक
शिक्षक प्रशिक्षण
आईसेक्ट विश्वविद्यालय
भोपाल

IIALE is now a Study Centre for IGNOU Programme

International Institute of Adult and Lifelong Education (IIALE) is now recognized as a study centre by Indira Gandhi National Open University (IGNOU) (Centre Code: 29049P) which will function from 17-B, I P Estate, New Delhi – 110 002. The Centre will start function soon and the courses to be offered are:

1. Master of Arts in Adult Education (MAAE)
2. Post-Graduate Diploma in Adult Education (PGDAE)
3. Post Graduate Certificate in Adult Education (PGCAE)

Students interested to enroll themselves for the above courses can contact the Programme In-charge Smt. Kalpana Kaushik on the following address:

International Institute of Adult and Lifelong Education (IIALE)
C/o Indian Adult Education Association
17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
91-11-23379306, 23378436, 23379282